न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 178/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/306–307

प्रार्थीगण

1. मोहनकंवर पत्नी जितेन्द्र सिंह निवासी चामू तहसील चामू जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चामू जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 11/02/2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थिया के नाम से संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम रणजीतसागर पटवार हल्का चामू के खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.9712 हैक्टयेर मे प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा एवं मौजा मोतीसागर के खसरा नम्बर 1272 रकबा 13.8564 हैक्टेयर मे प्रार्थिया का 21/428 हिस्सा निहित है। प्रार्थिया के पति जितेन्द्र सिंह उर्फ जीतूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है चुंकि प्रार्थिया अनपढ व्यक्ति है केवल मात्र अपने हस्ताक्षर करने जानते है इस कारण विधिक जानकारी नही होने के कारण प्रार्थिया के नाम से दर्ज उक्त खसरो मे अपने पति का नाम जीतूसिंह दर्ज हो गया जबकि वास्तविक पति का नाम जितेन्द्र सिंह है। प्रार्थिया अपने नाम दर्ज भूमि मे मोहनकंवर पत्नी जीतूसिंह के स्थान पर मोहनकंवर पत्नी जितेन्द्र सिंह राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि उक्त खाद्यान्न भूमि जमाबंदी 2071–2074 मे जरिये बेचान मोहनकंवर पत्नी जीतुसिंह दर्ज हुआ जो आदिनांक वर्तमान जमाबंदी मे दर्ज है। प्रार्थिनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:34:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner

के अन्य दस्तावेज मे मोहनकंवर पत्नी जीतेन्द्रसिंह नाम दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थिनी का नाम मोहनकवंर पत्नी जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतुसिंह किये जाने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई बहस के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम रणजीतसागर पटवार हल्का चामू के खसरा नम्बर 1269 रकबा 0.9712 हैक्टयेर एवं मौजा मोतीसागर के खसरा नम्बर 1272 रकबा 13.8564 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड मे **प्रार्थिनी का नाम मोहनकवंर पत्नी जीतुसिंह के स्थान पर मोहनकंवर पत्नी जितेन्द्रसिंह उर्फ जीतुसिंह** नाम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के हिस्से मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जावे। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में नाम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 11/02/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.24 16:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner